(ख) क्या सरकार ने श्री गांधी की दो वर्ष पूर्व की और मौजूदा आर्थिक स्थिति की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोयले के इस माफिया तथा (बी.सी.एल.) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। चूंकि कोयले की संपूर्ण बिक्री का उपयुक्त रूप में लेखा-जोखा रखा जाता है, अतः उच्च ग्रेड के कोयले को ई. एंड एफ. ग्रेड के कोयले के नाम से दिये जाने की संभावना बहुत कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा भ्रष्ट तरीकों का अपनाया जाना

652. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लि. के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी ही जाति से संबद्ध माफिया को सोप-स्टोन (सेलखड़ी) की अवैध बिक्री में शामिल हैं और उन्हें भी उसके लिये प्रतिमाह प्रति टन 5 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय श्री सहाय के पास कितने करोड़ रुपये की संपत्ति है और दस वर्ष पूर्व उनके पास कितने रुपये मूल्य की संपत्ति थी ; और

(ग) क्या सरकार उनकी संपत्ति की जांच कराने तथा उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस संबंध में श्री सहाय के नाम से संदर्भगत व्यक्ति श्री ए.के. सहाय लगते हैं, जोकि अभी तक हाल में भारत कोकिंग कोल लि. के मूनीडीह क्षेत्र में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। श्री ए.के.सहाय द्वारा वर्ष 1980 में भरे गये परिसम्पत्ति विवरण पत्र से पता चलता है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वर्ष 1989 के परिसंपत्ति विवरण-पत्र में उन्होंने कुछ भूमि संबंधी परिसम्पत्ति दिखाई है जिनमें एक घर शामिल है जोकि उन्होंने विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त किया है अर्थात् बिहार राज्य आवास बोर्ड, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा धनबाद में स्थित दो सहकारी निकाय। इन परिसंपत्तियों की खरीद कीमत 2,62,000/- रु. बताई गई है।

कोल इंडिया लि. को सामग्री की आपूर्ति के लिये सहायक कारखानों की स्थापना

653. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कान्द्रा, जिला धनबाद स्थित कोल इंडिया की खदानों तथा परिवहन और अन्य व्यापारिक क्रियाकलापों में प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए सहायक कारखानों की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लघु स्तर के उद्योग चलाने वाले कान्द्रा के लोग भूखों मर रहे हैं और ये सहायक एकक बंद किए जा रहे हैं ; और

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. अपनी कुल खरीद में से कितनी प्रतिशत खरीद कान्द्रा से, कितनी प्रतिशत बिहार के अन्य कारखानों से तथा कितनी प्रतिशत की खरीद बिहार के बाहर स्थित कारखानों से करती है और इसके द्वारा की गई कुल खरीद और बिहार के कारखानों

से की गई कुल खरीद के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. ने कान्द्रा औद्योगिक क्षेत्र की कुछ यूनिटों को अनुषंगी यूनिट के रूप में अंगीकृत किया है और भा.को.को. लि. द्वारा अपेक्षित सामग्री को इन यूनिटों से प्राप्त किया जाता है ।

(ख) इन अनुषंगी यूनिटों को कठिनाइयां जब कभी भी भा.को.को.लि. की नोटिस में लाई जाती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और उक्त कठिनाइयों को दूर किए जाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । अभी तक भा.को.को. लि. प्रबंधन के ध्यान में अनुषंगी यूनिट के बंद होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार की विभिन्न यूनिटों जिसमें कान्द्रा तथा बिहार से बाहर की यूनिटें शामिल हैं, प्रस्तुत किए गए खरीददारी संबंधी आर्डरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1988–89		1989–90 (अनंतिम)	
	सम्पूर्ण (लाख रु० में)	जोड़ की प्रतिशतता	सम्पूर्ण (लाख रु० में)	जोड़ की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
बिहार में				
I. अनुषंगी यूनिट				
(क) कान्द्रा औद्योगिक क्षेत्र	343.00	2.5	657.00	4.5
(ख) कान्द्रा औद्योगिक क्षेत्र से बाहर . .	260.00	1.9	236.00	1.6
II. राज्य सरकार की यूनिट .	981.00	7.0	875.00	6.8
III. केन्द्रीय सरकार के उपक्रम .	3775.00	27.2	3473.00	23.7
IV. एस.एस.आई. . . (अनुषंगी यूनिटों को छोड़कर)	393.00	2.8	529.00	3.6
V. मध्यम/बड़ा निजी क्षेत्र .	1385.00	10.0	1285.00	8.8
VI. खुदरा बिक्री आढ़तियां/अन्य .	670.00	4.8	642.00	4.4
उप जोड़ . .	7807.00	56.2	7697.00	52.6
बिहार में बाहर की यूनिट :				
I. सार्वजनिक क्षेत्र . .	1335. 00	9.6	1687.00	11.5
II. अन्य . . .	4756.00	34.2	5269.00	35.9
उप जोड़ . . .	6091.00	43.8	6956.00	47.4
कुल जोड़ : . . .	13898.00	100.00	14653.00	100.00